से मुझे हमदर्दी है। लिहाजा मेरी कोई नज़र कब्रिस्तान की तरफ नहीं उठ रही है। जो सवाल किया गया है उसका ओरिजनल सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं इत्तिला के लिए अर्ज कर दूं कि बरसों पुरानी एक बरनी कमेटी की रिपोर्ट पड़ी हुई है। इस गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि बरनी कमेटी ने जिन जमीनों को गैर-मुतनाजे तसलीम किया है उन पर मुकदमात चल रहे है और वे मुकदमात वापिस ले लिये जाएं।

(*Interruptions*)

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY: Sir, the honourable Minister has already stated that the unauthorised colonies are going to be regularised. I want only one piece of information from the Government. We have repeatedly asked the Government about this because there are many unauthorised colonies in West Bengal.

MR. CHAIRMAN: But this is about Delhi only.

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY: No, Sir. It is the policy of the Government. He has declared the policy of the Government and they are going to regularise the unauthorised colonies. I want only one piece of information from the honourable Minister. There are hundreds of colonies in West Bengal which have not yet been regularised at all and he is aware of it. Now, Sir, I would like to know whether those colonies also would be regularised and whether a policy in regard to them also has been announced. My second point is how long it will take for them to regularise these unauthorised colonies under the provisions of law as announced by the Government.

SHRI SIKANDAR BAKHT: Sir, if the honourable Member gives me notice, then I will obtain the information from the Government of West Bengal.

MR. CAHIRMAN: Next question, please.

Check on deforestation in the country

*412. DR. LOKESH CHANDRA:†

SHRI GIAN CHAND TOTU:

SHRI PRAKASH MEHROTRA:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state whether in order to help recycling of the ecosystem for harmonious development, Government propose to stop further deforestation in the Doon Valley, in Darjeeling—Kalimpong hills and the Orissa's "land for land scheme"?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): The information is being collected from the States of Uttar Pradesh, West Bengal and Orissa and would be placed on the Table of the Rajya Sabha in due course.

डा० लोकेश चन्द्र : क्या मन्त्री महोदय सदन को यह आश्वासन देना चाहेंगे कि पिछले वर्ष जो कई लाख या करोड़ों रुपये के जंगल काटने के ठेके दिए गए उनके अन्दर कई ऐसे पेड़ काटे जायेंगे जिनको मेच्योर होने के लिए, बड़ा होने के लिए कम से कम 60 वर्ष या 100 वर्ष लगते हैं उनको नहीं काटा जायेगा। केवल हमारा ही देश ऐसा है जहां पर 50 साल के ऊपर के पेड़ों के जंगल काटने की ठेकों में अनुमति दी जाती है। आपका ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हंगरी के अन्दर केवल वही पेड़ काटे जाते हैं जो 8-9 वर्ष में पूरे पेड़ बन जाते हैं, परन्तु हमारे देश की योजनाओं के अन्दर कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं है कि उन पेड़ों को न काटा जाय जो बड़ा होने के लिए, उपयोग के योग्य होने के लिए दस वर्ष से अधिक समय लेते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप अपनी नीति में इसकी व्यवस्था करेंगे कि जो पेड़ 10-

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Lokesh Chandra.

15 वर्ष में बड़े हो सकते हैं उनको ही काटा जाए और जो लम्बे समय लेने वाले पेड़ हों उनको काटने के लिए विशेष अनुमति मिलने पर ही काटा जाए ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : कुछ ऐसे पेड़ हैं जो बड़ी जल्दी बड़े हो जाते है और कमर्शियल या इण्डस्ट्रियल यूज़ के योग्य हो हो जाते हैं जैसे यूकेलिपटस वगैरह के पेड़ हैं। यह 8--10 साल के अन्दर तैयार हो जाते है। कहीं-कहीं तो यह 8 साल में या 7 साल में भी तैयार हो जाते हैं। तैयार होने पर इनको काट दिया जाता है और 8 या 10 साल के बाद फिर उसी तने के ऊपर पेड़ बड़ा हो जाता है और फिर काट दिया जाता है। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे है जो 50 साल के बाद जैसे कि माननीय सदस्य ने फरमा रहे हैं मेच्योर होते हैं। उनकी उम्र तकरीबन 100 साल तक जाती है या इससे भी लम्बी उम्र होती है। इसलिए 50 और 100 साल के दरम्यान काटने की उम्र आ जाती है और उनको उस वक्त काट दिया जाता है। ऐसे ही जो गवर्नमेंट फारेस्ट है, रिजर्व फारेस्ट हैं उनमें यह उसूल लागू होता है कि जो पेड़ 50 साल के ऊपर मैच्योर होते हैं उनको 50 साल के बाद ही काटा जाय, पहले नहीं।

डा० लोकेश चन्द्र : मन्त्री महोदय, आपने जो प्रश्नों का उत्तर दिया उसमें मुख्य प्रश्न को टाल दिया। जो पेड़ 50 साल से अधिक बड़ा होने में लेते हैं उनको विशेष परिस्थितियों में काटा जाता है। हमने जो पिछले 2-3 वर्षों में ठेके दिये हैं वे बिना सोचे समझे दे दिये है। इन ठेकों के अन्दर ठेकेदार डी-फारेस्टेशन करते है, जंगलों को समाप्त करते हैं। इसी कारण से दिल्ली और उत्तर भारत में बाढ़ों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, आपको इस सदन को आश्वासन देना चाहिए कि जब पेड़ काटने के ठेके दिये जायेंगे तो यह भी विचार किया जायेगा कि उन पेड़ों को काटने से भारतवर्ष को क्या हानि होगी। केवल समय का ही प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए कि 10 अथवा 50 साल में पेड़ काटे जाय बल्कि इन पेड़ों को काटने पर ईकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बाढ़ों को रोकने में सहयोग होगा या नहीं, इन बातों को भी ध्यान में रख कर पेड़ काटे या न काटे जायं। जितने पेड़ काटे जाते हैं उनके स्थान पर री-फारेस्टेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। केवल अंधाधुन्ध रुपयों की दृष्टि से ठेके दे दिये जाते हैं। इससे देश को बाढ़ों के कारण कितनी हानि होगी, इस पर नहीं विचार किया जाता है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि जब जंगलों को काटने के ठेके दिये जायं तो इन बातों का ध्यान रखा जाय कि देश में और विशेषकर उत्तर भारत में बाढ़ों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश के अन्दर जो जलवायु का परिवर्तन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ईकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : श्रीमन्, दो साल से इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि कोई ठेके न दिये जायं जिससे कि ईकोसिस्टम पर कोई असर पड़े, जिससे फिल्ट्रेशन बढ़े, या सायल इरोजन बढ़े। ठेके पर काम बहुत कम किया जा रहा है पहले ज्यादा किया जाता हो लेकिन अब बहुत कम किया जा रहा है। हमारी कोशिश यह है कि ठेकेदारी के जरिये काम न करवाया जाय। स्टेट कारपोरेशंस बने और उनके जरिये से काम हो, ऐसी कोशिश हो रही है। इसके अलावा सेंसिटिव एरियाज़ में हम दरख्तों का काटना बन्द कर रहे हैं ताकि सायल इरोजन और फिल्ट्रेशन बन्द किया जा सके।

PROF. N. G. RANGA: May I know from the Minister whether the Government have evolved an all-India policy in consultation with the State Governments and also the experts in forestry, agriculture and ecology and also the environmentalists? And if they have not done so, I would like to know whether they pro-

pose to hold as early as possible a conference of all these people and then evolve an all-India policy so that all the States can be expected to follow it and see that the lurking dangers as a result of aimless or unsystematic deforestation are prevented.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Sir, already guidelines have been issued for the purpose of deforestation wherever it is very necessary because our view was that deforestation should not take place Because of certain projects, some State Governments want to settle the oustees from these irrigation projects in forest areas. So, we are taking up the matter with the State Governments also that forest land should not be used for settling these oustees and that some other land should be acquired for this purpose. I have already written to the UP Government and the Orissa Government that the forest land in the Dun valley and the forest land in Orissa should not be used for this purpose, there should be some other land, and they should be compensated in some other forms.

SHRI SUJAN SINGH: Is the Government thinking of changing its policy of deforesting the hill areas in view of the present surplus production of food in the country so that the forests in the hills could be preserved and made use of for the entire country?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Sir, our effort is that no more hill areas should be denuded for agricultural purposes. The hon. Member might be referring to some eastern States where zoom cultivation is being practised. We are trying to stop that also. We are taking effective steps for stopping zoom cultivation.

श्री श्याम लाल यादव : माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की बराबर कोशिश रही है, इस सरकार की भी उस सरकार की भी—मंत्री जी ने तो दो ही साल की बात कही, मैं समझता हूं कि वे अपने को ज्यादा बेहतर साबित करने के लिए कह रहे है—कि जंगल न काटे जायें। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके मे 'चिपको' आंदोलन बहुत बढ़ा, चाल हुआ कि जंगल न काटे जाएं, वहां के नागरिकों ने आंदोलन शुरू किया था, अभी हाल मे फिर आंदोलन शुरू किया है वह आन्दोलन इस कारण हुआ कि वहां के ठेकेदार और जंगल के अधिकारी मिल कर, साजिश करके पेड़ कटवाते हैं। इसमें ठेकेदार ही नहीं सरकारी अधिकारी भी मिले है। लिहाजा जनता ने चूंकि इस आन्दोलन को शुरू किया हैं, उस आन्दोलन को प्रभावकारी बनाने के लिए गांव के लोगों को कोई कानूनी अधिकार देगे कि अगर कोई ठेकेदार या जंगल का अधिकारी इस तरह से पेड़ काटता हुआ पाया जाए, उसे जनता के लोग गिरफ्तार कर सकें, उसके ऊपर मुकदमा कर सकें ? क्या इस तरह की व्यवस्था उन्होंने की है कानून में ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : ऐसा तो कोई कानून नहीं बनाया गया कि जनता को अख्तियार दे दिया जाए कि किसी को पकड़ कर सजा दें। जैसा कि चिपको मूवमेंट चला, उस मूवमेंट का मेन थ्रस्ट है कि लोगो को पेड़ों से प्यार किया जाए ताकि लोग पेड़ों को ज्यादा उगाएं भी और उनको ठीक भी रखें। इसलिए जहां पर ठेकेदारो से काम हो रहा था वहां काम बन्द किया गया, उस एरिया में अब ठेकेदार पेड़ नहीं काटते हैं लेकिन कुछ फारेस्ट एरिया था जहां फारेस्ट काट कर डेन्यूड कर दिया। जो रिजर्व फारेस्ट्स ह वहां अभी भी अच्छी हालत है। तो चिपको मूवमेंट की तरह और भी मूवमेंट चलाने चाहिएं सारे प्रांतों में ताकि लोगों को पेड़ों के साथ प्यार पैदा हो सके और उनकी रक्षा हो सके।

श्री श्यामलाल यादव : अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : अगर कोई अधिकारी गलत तरीके से फारेस्ट कटवाएगा तो उसके खिलाफ़ जरुर कार्रवाई की जाएगी ।

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: Sir, may I know from the hon. Minister as to what the Government are doing to maintain the ecologial balance? I demand that in Angul, Phoolbani, Koraput and Bastar, colleges for forest training, forest research centres and environmental research centres should be established because these are the places which are centrally located in the entire east coast forest belt of India. In view of the necessity to preserve the flora and fauna of this region and to maintain the ecological balance, may I request the hon. Minister to provide these centres of training and research?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Regarding the forest research centres and colleges, a proposal can be examined if the hon. Member sends one.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: Sir, the answer is not clear.

MR. CHAIRMAN: He has said, if you send a proposal he will have it examined. Yes, Mr. Kalp Nath.

श्री कल्प नाथ राय : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पिछली बार इतनी भयंकर बाढ़ आई थी उसके बारे में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में बहुत भारी संख्या में पेड़ों को काटा जाना उसका कारण हैं । तो क्या भारत सरकार कोई योजना बना रही है कि इस मुल्क में पेड़ों को भारी संख्या में लगाया जाए ताकि बाढ़ की पुनरावृत्ति न हो सके ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : बाढ़ पेड़ों को लगाने से रुकती नहीं, पेड़ों को काटने से ही होती नहीं । लेकिन पेड़ों को काटने का असर जरूर होता है । अगर ऊपरी पहाड़ों में ज्यादा पेड़ कट जाएं तो उस से बाढ़ पर असर पड़ जाता है । बाढ़ का पानी बढ़ने से एकदम साइल नीचे आ जाती है, साइल इरोजन होता है . . . (*Interruptions*) . . . जवाब सुन लीजिये । तो जहां पर कैचमेंट एरियाज़ हैं, दरियाओं के, नदियों के, वहां हमारी कोशिश होती है कि वहां कोई दरख्तों को काटे नहीं बल्कि नए दरख्त भी लगाए जाएं ताकि पानी एबजार्ब हो सके और आहिस्ता आहिस्ता जमीन मे से परकोलेट होता रहे ।

श्री सदाशिव बागाईतकर : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पेड़ों को काटने का, जंगल काटने का सवाल जुड़ा हुआ है फ्युल से, तो क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है जिसके चलते यह जलाने के लिए जो लकड़ी लगती है उसका अलग से प्लाण्टेशन हो सके । पाण्डिचेरी में मैंने देखा है, ख़ाली वही इलाका मैंने देखा है, जहां बिर्च का प्लाण्टेशन तरीके से किया जा रहा है ताकि जलाने के लिए लकड़ी उपलब्ध हो । और इलाकों में अगर जलाने की लकड़ी को अलग से प्रोडक्शन करने की नीति अख्तियार करें तो जंगल को बचाने का काम सुलभ होगा । इस बारे में सरकार की क्या कोई योजना है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : फ्युल के लिये लकड़ी पैदा करने का काफी काम हो रहा है । सोशल फारेस्टर का जो काम है वह भी उन जगहों में हो रहा है । जहां पहले कंवेंशनल फारेस्ट नहीं थे वहां भी काम हो रहा है । फ्युल के लिये, फारेस्ट के लिये और इंडस्ट्रियल परपज़ के लिए भी फारेस्ट लगाये जा रहे हैं और इन सब के लिये काफी काम किया जा रहा है ।

SHRI GHOUSE MOHIUDDIN SHEIKH: Sir, in some coastal districts of Andhra Pradesh, the fisher-

men are occupying forest land and are cultivating it. That forest land is in their possession for the last 30 to 40 years. The Forest Department is now giving them notice to vacate the land and they have also written to the Central Government for guidance. I want to know what steps are being taken in this respect.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: I have not followed whether he is pleading the case of the fish or the *forest*.

SHRI GHOUSE MOHIUDDIN SHEIKH: The forest land has been occupied by the fishermen and they are being asked now by the Forest Department to vacate that land.

MR. CHAIRMAN: He will examine that point.

श्री रामानन्द यादव : ऐसा हो रहा है कि जंगल बिल्कुल उजाड़े जा रहे हैं और जंगलों को उजाड़ने में दो शक्तियों का जोरदार गठबन्धन है। पहली शक्ति हैं जंगलों के ठेकेदार और दूसरी शक्ति है जंगलों के महकमे के मुलाजिम जिन्हें सरकार बहाल करती है जंगलों की रक्षा के लिये। हमारे बरनाला साहब को कंट्रेक्टरों से बहुत प्यार है क्योंकि एक एफ सी आई के ठेकेदारों को भी वह हटाना नहीं चाहते, जंगलों के ठेकेदारों को भी वे हटाना नहीं चाहते। तो यह मानी हुई बात है कि ठेकेदारों को जंगलों के जितने पेड़ काटने का ठेका मिलता है उससे अधिक वहां के मुलाजिमों को घूस देकर काट लेते हैं। ऐसे पेड़ों को काट लेते हैं जिनकी उम्र काटने लायक नहीं होती। फिर भी सरकार उन ठेकेदारों को मेन्टेन करती है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जंगलों की रक्षा के लिये क्या सरकार ठेकेदारी प्रथा को जंगल विभाग में समाप्त करके अपने ही मुलाजिमों के माध्यम से निश्चित किये हुए पेड़ों को कटवा कर अपने डिपो से उनको बिक्री कराने की व्यवस्था करेगी और जंगलों की रक्षा करने के लिए कोई दूसरे उपाय भी सोचेगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हर स्टेट में फारेस्ट कारपोरेशन्स बनते चले जा रहे हैं जिनके जरिये से यह काम शुरू हो रहा है और कंट्रेक्टर्स का काम धीरे-धीरे खत्म हो रहा है और उनका यह एलीगेशन कि मुझको ठेकेदारों से बहुत दिलचस्पी है, बिल्कुल गलत है। उन को भले ही हो, मुझे नहीं है।

Detection of unauthorised constructions in Delhi

*413. SHRI PRANAB MUKHERJEE:
PROF. N. M. KAMBLE:†
SHRI RAMANAND YADAV:

Will the Minister of WORKS AND *HOUSING AND SUPPLY AND RE*-HABILITATION be pleased to state:

(a) the time taken normally by the concerned officers in detecting and reporting about unauthorised constructions and issuing notices for demolition;

(b) what action is taken against those officials who fail to detect and report unauthorised constructions and issue notices within the normal period; and

(c) in how many cases, action was taken against the defaulting officials during the period from January 1, 1974 to December 31, 1978, and what are the full particulars of these cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KIN-

†The question was actually asked on the floor o fthe House by Prof. N. M. Kamble.